राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर,जयपुर पीठ, जयपुर
(Phone: 0141-2227481, 2227602 FAX, Toll Free Help Line 15100/9928900900)

क्रमांकः 12267 – 12301 दिनांकः ~~17~~.05.2019 18

प्रेषितिः सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
समस्त राजस्थान।

विषयः 9 केन्द्रीय जेल, 24 जिला जेल एवं 1 उच्च सुरक्षा जेल का प्रत्येक सप्ताह निरीक्षण करने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि जेल निरीक्षण को प्रभावी बनाने हेतु एक टीम ऑफ विजिटर्स से नियमित रूप से निरीक्षण करवाने का निर्णय लिया गया है अतः एक टीम ऑफ विजिटर्स निम्न प्रकार गठित की जाती हैः–

1. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण।
2. महिला पैनल अधिवक्ता।
3. पैनल अधिवक्ता।

यदि किसी जिले में महिला पैनल अधिवक्ता नहीं है तो अन्य पैनल अधिवक्ता को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है।

उपरोक्तानुसार उक्त टीम ऑफ जेल विजिटर्स का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक सप्ताह उनके क्षेत्राधिकार की केन्द्रीय/जिला जेल का निरीक्षण करे और सामान्य रूप से साफ–सफाई, भोजन, निरूद्ध व्यक्तियों को लीगल ऐड इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त करे।

उक्त निरीक्षण के समय सचिव का दायित्व होगा कि वह जेल क्लिनिक का निरीक्षण करे और जेल क्लिनिक पर मौजूद पी.एल.वी. से जेल क्लिनिक की गतिविधियों की जानकारी ले और यदि कोई मामला सचिव के समक्ष लाया जाता है तो उसके बारे में तत्काल आवश्यक अग्रिम कार्यवाही पर विचार करें।

उक्त टीम के साथ निरीक्षण करते समय यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक सप्ताह पैनल एडवोकेट बदले जावें और कोई भी पैनल एडवोकेट लगातार 2 सप्ताह तक निरीक्षण दल में नहीं रहेगा। यदि महिला अधिवक्ताओं की संख्या कम हो तो भी 2 माह से पूर्व किसी पैनल अधिवक्ता का नाम टीम ऑफ विजिटर्स में दोहराया नहीं जाना चाहिए।

जेल का निरीक्षण करते समय निरूद्ध व्यक्तियों/बंदियों से वास्तविक संवाद किया जाएगा और इस संवाद में विशेष रूप से उन निरूद्ध व्यक्तियों से भी संवाद किया जाएगा जो Causal offender हैं अथवा उसी सप्ताह में पहली बार लाया गया हैं।

उक्त टीम ऑफ विजिटर्स का नेतृत्व सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा और सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुपस्थिति में 3 सदस्यीय पैनल अधिवक्ता के दल का गठन किया जाकर एक बार निरीक्षण किया जा सकता है परन्तु अधिक समय तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण यदि अवकाश पर रहते हैं तो रालसा की जानकारी में लाकर ही निरीक्षण किया जाएगा।

प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट तत्काल इस प्राधिकरण को संलग्न निर्धारित प्रारूप में प्रेषित की जावेगी।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

(अशोक कुमार जैन)
सदस्य सचिव
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण
जयपुर

साप्ताहिक जेल निरीक्षण का प्रारूप

(सप्ताह– I/ II/ III/ IV/ V)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का नाम..

जेल का नाम ....

निरीक्षण की तिथि व समय ....

पैनल अधिवक्ता (1) ....

पैनल अधिवक्ता (2) ....

अंतिम निरीक्षण की तिथि..

1. जेल में साफ सफाई ....
   ....
   ....
2. भोजन व्यवस्था ....
   ....
   ....
3. चिकित्सा व्यवस्था ....
   ....
   ....
4. विधिक सहायता एवं उपलब्ध कराई गई सहायता (संख्या) ....
   ....
   ....
5. विधिक सेवा क्लिनिक (LAC) का कार्य ....
   ....
   ....
6. प्रथम बार प्रवेश करने वाले या Casual Offender से संवाद ....
   ....
   ....
7. महिला बंदियों से संवाद एवं उनकी स्थिति..
   ....
   ....
8. अन्य कोई बिन्दु ....
   ....

सचिव

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण

....